ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1–15/2009(एआरसी) भाग–III

दिनांक : 27 जून, 2019

आदरणीय महोदय/महोदया,

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर दिनांक 08 मई, 2009 की सिविल अपील संख्या 887/2009 में दिए गए निर्णय के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विनियम, 2009" को अधिसूचित किया है। यह विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं। यह विनियम देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनिवार्य हैं।

चूंकि रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए, बहु प्रणालियों की आवश्यकता है, आपके क्षेत्राधिकार के तहत आपके सम्मानित विश्वविद्यालय तथा सभी संस्थानों में लागू किए जाने वाली कुछ सिफारिशों तथा कार्रवाईयों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

क. मूलभूत उपाय:

1. रैगिंग रोधी समितियों, रैगिंग रोधी दस्तों का गठन, रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना और विभिन्न मीडिया के माध्यम से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।
2. संस्थान की विवरणिका और सूचना पुस्तिकाओं/ ब्रोशर में रैगिंग रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाएगा।
3. रैगिंग रोधी समिति से संबंधित नोडल अधिकारियों के पूर्ण पते और संपर्क संबंधी ब्योरे के साथ संस्थानों की वेबसाइट अद्यतन करना।
4. प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता–पिता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों तथा इसके द्वितीय संशोधन के अनुपालन में प्रत्येक शिक्षा वर्ष में एक ऑनलाइन वचनपत्र जमा करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत को शामिल करते हुए रैगिंग की परिभाषा को विस्तार देने के लिए दिनांक 29 जून, 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में तीसरे संशोधन को अधिसूचित किया:

   "3. किसी दूसरे छात्र (नए अथवा अन्यथा) पर रंग, नस्ल, धर्म, जाति, नृजातीय, लिंग (ट्रांसजेंडर सहित), यौन झुकाव, रूपरंग, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता, भाषायी पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक दुर्व्यवहार (जिसमें दबंगई तथा बहिष्करण शामिल है) का कोई भी कृत्य"

6. महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना।

ख. परामर्श तथा निगरानी संबंधी उपाय

1. छात्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों और समस्याओं को पैदा करने वाले अन्य कारकों की पहचान की जा सकती है।
2. छात्रावासों, छात्रों के आवास, जलपानगृह, विश्राम–सह–मनोरंजन कक्ष, शौचालयों, बस–स्टैंड का औचक निरीक्षण, और कोई भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने/ लगाम लगाने और अनुचित व्यवहार/ घटना के रोकने में प्रभावी साबित होंगे।

ग. रैगिंग मुक्त कैम्पस के विचार का सृजनात्मक रूप से प्रसार

1. विचार के प्रसार के लिए रैगिंग रोधी कार्यशालाएं, संगोष्ठियां जैसे कार्यक्रम और अन्य रचनात्मक उपाय करना।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा और संरक्षा ऐप रचनात्मक रूप से तैनात किए जा सकते हैं।

घ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरंभ किए गए अन्य उपायों का उपयोग करना

1. रैगिंग संबंधित घटनाओं के कारण परेशान छात्र राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नम्बर 1800–180–5522 (24X7 टोल निःशुल्क) पर कॉल कर सकते हैं अथवा हेल्पलाइन helpline@antiragging.in पर रैगिंग रोधी हेल्पलाइन पर ई–मेल कर सकते हैं।

2. रैगिंग के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निगरानी एजेंसी अर्थात् अमन सत्य कचरू ट्रस्ट से मोबाइल नंबर 09871170303, 09818400116 (केवल आपात स्थिति में) पर संपर्क करें।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न तरीकों के माध्यम से एक रैगिंग रोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित इकाइयाँ विकसित की हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

   क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता–पिता, पीड़ित और दोषियों के परिप्रेक्ष्य से प्रत्येक 30 सैकेण्ड की अवधि के 05 अलग–अलग टीवीसी तैयार किए हैं।

   ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों/ विनियामक प्राधिकरणों/ परिषदों/ आईआईटी/ एनआईटी/ अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पोस्टरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए पोस्टर डिजाईन किए हैं और उनमें संवितरित किए हैं।

   ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग की समस्या के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए छात्रों/ संकायों/ आम जनता के लिए लगातार 02 रैगिंग रोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने अथवा संस्थान द्वारा इन विनियमों के अनुरूप रैगिंग पर लगाम लगाने हेतु पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहने पर अथवा रैगिंग की घटनाओं के अपराधियों को उपयुक्त रूप से दंडित करने में विफल रहने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के दिनांक 27 दिसंबर, 2018 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से सम्प्रेषित सिफारिशों को कार्यान्वित करें और इस प्रकार एक रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करें, जोकि परिवर्तन, ज्ञानार्जन और प्रगति के प्रति उदार सहायक और निष्पक्ष संस्थागत परिवेश तैयार करने के लिए मूलतः आवश्यक है।

सादर

भवदीय,

रजनीश

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति